राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव/अत्यावश्यक
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इन निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने से पूर्व स्वयं भी पढे।

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2022/6837 दिनांकः 13/1/2022

जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलक्टर),
अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयुपर, जोधपुर,
करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर

विषयः– 17 नवगठित नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2022 हेतु निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य की नवगठित 17 नगरपालिकाओं (लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, बानसूर, अटरू, सीकरी, उच्चैन, मण्डावरी, सरमथुरा, बसेड़ी, बस्सी, पावटा–प्रागपुरा, भोपालगढ़, सपोटरा, सुल्तानपुर, बामनवास, जावाल एवं लालगढ़ जाटान) के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना हैं। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियो को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत उक्त 17 नगरपालिका बोर्ड के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को आयोग के आदेश कमांक एफ. 1(3)(1)/नपा/रानिआ /94/वो.I/6831 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा नियुक्त किया गया है।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण **अर्हता तिथि 01.01.2022** के संदर्भ में करवाया जाएगा। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर, उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A - प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने एवं भौतिक सत्यापन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एडं इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड **(रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों** के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से** कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। **उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें।** इन सूचनाओं के संकलन के लिए **प्रपत्र–ए (परिशिष्ट–1) तैयार किया** गया हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र–ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।

2. प्रपत्र–ए में अंकित कॉलम में सूचनाओं को भरने का विवरण :–
   - प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
   - कॉलम नं. 2 में संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नंबर लिखा जायेगा।
   - कॉलम नं. 3 में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के भाग का नंबर अंकित किया जाएगा।
   - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका के वार्ड से संबंधित भाग के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

- कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता नगरपालिका के जिस वार्ड से संबंधित हैं उस वार्ड की संख्या लिखी जाएगी।
- कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी।

3. विधानसभा के डेटाबेस से मतदाता सुचियों के कार्य के लिए आपको प्रगणकों की आवश्यकता होगी अतः प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य 20.01.2022 तक पूर्ण कर लिया जाये। **नियुक्त किए गए प्रगणकों को विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को विभक्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् कर ली जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ कार्यालय के सूचना सहायक एवं नगरपालिका के संबंधित कार्मिको को भी सम्मिलित किया जाए ताकि परिसीमन से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसमें उनकी सहायता ली जा सके। काविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण स्थल में प्रवेश करने से पूर्व उनके हाथों को सैनेटाईज किए जाने की व्यवस्था हो एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है।** प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को प्रपत्र–ए में सूचना तैयार करने एवं सूचना सहायकों को ई–सूची (e-suchi) पर उक्त सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया से भली–भांति अवगत करा दिया जाए।

4. प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण के बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन नगरपालिकाओं के परिसीमन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः प्रगणकों के प्रशिक्षण के तुरन्त पश्चात् **प्रपत्र–ए तैयार** करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डो के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरें को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग–अलग भागों में विभाजित कर लें। **यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी एक भाग में दो वार्डो के मतदाता सम्मिलित नहीं हो।**

5. नगरपालिका में वार्डो के भाग बनाए जाते समय यथा संभव विधानसभा के भागों के अनुरूप ही भाग बनाए जाए। सामान्यतः नगरपालिका का सम्पूर्ण वार्ड एक ही विधानसभा क्षेत्र में समाहित होगा। यदि किन्ही मामलों में इसमें भिन्नता पाई जाती हैं तो नगरपालिका हेतु भाग बनाए जाते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक मौहल्ला/कॉलोनी/गली के मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाए, चाहे उस भाग के लिए मतदाताओं की संख्या 900 से थोडा कम या ज्यादा हो रही हो।

6. प्रपत्र–ए में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की **दिनांक 01.01.2022 की** अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है की प्रति उपलब्ध कराई जाए। चूंकि उक्त 17 नगरपालिकाओं के गठन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा वार्डो का गठन एवं परिसीमन का कार्य किया गया है। **अतः इनके परिसीमन आदेश की प्रति, वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डो को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता हैं तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शे की आवश्यकता होगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएगें। इसके अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों की नियमित बैठक ली जाए एवं यदि नवीन परिसीमन के संबंध में यदि किसी प्रगणक की कोई शंका हो तो उसका निवारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तुरन्त किया जाए।**

7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन–कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएगें। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण मे सम्मिलित करें।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 1347 दिनांक 18.04.2019 के बिन्दु संख्या–14 में यह निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः **1400** मतदाता रखे जाए, किन्तु कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त संख्या को **900** तक सीमित किया गया है। **यदि विधानसभा की मतदाता सूची के किसी भाग में**

900 से अधिक मतदाता है तो नगरपालिका के लिए भी वार्ड की सीमा में रखते हुए उसका एक ही भाग बनाया जाएगा।

9. नगरपालिका के वार्ड भागों में विभाजित किए जायेगें, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग, जिनमें मतदाताओं की संख्या 950 तक है एवं पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। **विधानसभा मतदाता सूची के ऐसे भाग जिनमें मतदाताओं की संख्या 950 से अधिक है, के लिए पृथक–पृथक 02 भाग बनाए जाए।**

10. विधानसभा के वे भाग जिनमे नगरपालिका के दो या अधिक वार्डो के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की कम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएगें, अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम हैं तो नगरपालिका की मतदाता सूची के लिए नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।

11. प्रपत्र ए को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगीः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए को तैयार करने की अंतिम तिथि	04.02.2022
2.	प्रपत्र ए को ई–सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	07.02.2022
3.	प्रपत्र ए को ई–सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	10.02.2022
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	12.02.2022
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	18.02.2022
6.	संशोधित प्रपत्र–1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	22.02.2022
7.	संशोधित प्रपत्र–1 को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	25.02.2022

12. इस प्रकार प्रगणकों द्वारा सूचनाएं संकलित कर तैयार किए गए प्रपत्र–ए के अनुसार सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख–रेख में ई–सूची **(URL https://www.esuchi. rajasthan.gov.in) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 04.02.2022 तक अपलोड की जानी है।** उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र–ए की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

13. उक्त सूचनाओं को अपलोड एवं **Process** करने के पश्चात् नगरपालिका की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावें कि **मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डो का कोई स्थान सम्मिलित नहीं हैं एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है।** यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो ई–सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसे अपडेट कर सकते है।

14. उक्तानुसार तैयार प्रारूप मतदाता सूची का **प्रिंट लेकर दिनांक 12.02.2022 को** आवश्यक हार्डकॉपियां (Hardcopies) तैयार कर लेवें। **दिनांक 12.02.2022 से 18.02.2022 तक संबंधित प्रगणकों** द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र–ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए ऐसे मतदाताओं से संबंधित वार्ड/भाग के लिए संशोधित प्रपत्र–ए तैयार कर पुनः ई–सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड/**Process** कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची दिनांक 22.02.2022 तक तैयार कर लेवें। नामावली के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रगणकों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए जाए।

15. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको **मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रेरित किया जाए।** दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुडवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते है तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

16. उक्त कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यो के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing)** की जाएगी।

17. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र **जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से** आयोग को **दिनांक 25.02.2022 तक** आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः–

क.सं.	कार्य विवरण	तिथि/अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	26.02.2022
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	27.02.2022
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.03.2022
4.	विशेष अभियान की तिथियॉ	27.02.2022 एवं 06.03.2022
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि	16.03.2022
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	25.03.2022
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	**29.03.2022**

C. – निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :–

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा–13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा–13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2022 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की **आयु 01.01.2022 को 18 वर्ष पूर्ण** नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।

2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार **किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता** तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि **नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।**

3. किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, **जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

4. निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी एवं इसे सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जा सकेगा। एक भाग में सामान्यतः 900 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएगें। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक–1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 900 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।

6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में **आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/1347 दिनांक 18.04.2019 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।** जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड–8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना के फोटो जिला स्तर पर संकलित कर आयोग को ई–मेल के माध्यम से प्रारूप प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर भिजवाएं जाएगें।** मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप–2 में विहित किया हुआ है। वार्डो की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।

8. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन दिनांक 26.02.2022 के बाद दावे व आपत्तियॉ **दिनांक 26.02.2022 से 07.03.2022 के** मध्य प्ररूप 3, 5 एवं 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएगें। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहीत अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से **मतदान केन्द्रों पर** उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेगें। प्रगणको को भी पदाभिहीत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

9. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर **दिनांक 27.02.2022 को नगरपालिका के मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें** आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों **का पठन किया** जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टी के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा या आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों दिनांक 27.02.2022 एवं 06.03.2022 में अथवा **दिनांक 07.03.2022 तक** आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्ररूप 3, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन–पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिका के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देगें। निर्वाचक नामावली के पठन–पाठन के दौरान मतदान केन्द्र पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा एवं सामजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

10. उपरोक्त आदेश के खण्ड–9 के अनुसार दावें व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्ररूप–3, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता हैं। प्ररूप 3, 5 और 6 का वितरण आयोग के परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/ 94/300 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निःशुल्क किया जाए। दावें व आपत्तियां डाक द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा में नाम जोडने के लिए अधिक मात्रा (Bulk) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसे प्राप्त दावों व आपत्तियों की विस्तृत एवं गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जाए।

11. कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा भी आयोग द्वारा प्रदान की गई है, जिसकी प्रकिया निम्नानुसार हैः–

आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाईट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर उपलब्ध विकल्प Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करना है। इस विकल्प के चयन के बाद तीन विकल्प (Addition, Deletion and Updation) दर्शित होगें। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करेगा। विकल्प के चयन के पश्चात् चयन किए गए विकल्प से संबंधित सूचनाएं भरने एवं वांछित दस्तावेजों के अपलोड करने के पश्चात् भरी गई सूचना को 'Save' करना होगा। सूचनाएं 'Save' करने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर निम्नानुसार एक संदेश दिखाई देगा :–

"संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए जल्द ही आपसे संपर्क करेगा ऑनलाईन आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब आप सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन पर हस्ताक्षर करेगें"

इस संदेश के नीचे 'Submit' का विकल्प उपलब्ध होगा। आवेदक जैसे ही 'Submit' के विकल्प पर क्लिक करेगा, उसका आवेदन पत्र संबंधित ईआरओ के पास चला जाएगा, जो उसे Claim & Objection सेक्शन के अंतिम विकल्प 'Online Form' में नजर आएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों व आपत्तियों के प्रिंट लेने हेतु ई–सूची पर उपलब्ध 'Download' सेक्शन में 'e-suchi PDF Factory' विकल्प के चयन करने के बाद दर्शित होने वाले तीन विकल्पों में से तीसरे विकल्प 'Download online form for PRI' का चयन करने के बाद वांछित आवेदन को डाउनलोड करके उनका प्रिंट लिया जा सकता है।

उक्तानुसार आवेदनों का प्रिंट लेने के पश्चात् संबंधित प्रगणक द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित कराने के बाद प्रगणक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र ईआरओ कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रकार प्रगणक से प्राप्त दावों व आपत्तियों को ईआरओ द्वारा जांच कर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों को ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही रिकार्ड में रखा जाएगा। **ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में ऐसे मतदाताओं के नाम जोडने/हटाने एवं संशोधन किए जाने हेतु पिंक पेड के माध्यम से प्रविष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है।**

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रगणक की टिप्पणी सहित प्राप्त आवेदन पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इनका निस्तारण ई–सूची के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जाना है। इस हेतु ई–सूची पर प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. ई–सूची पर लॉगिन करने के पश्चात् 'Claim & Objection' सेक्शन के विकल्प 'Online Form' के विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर एक Window खुलेगी।
2. इस Window में वार्ड संख्या के चयन करने बाद वार्ड संख्या के नीचे तीन विकल्प 'Application for claim for Addition', 'Application for Objection-Delete' एवं 'Application for Detail correction Updation' दिखाई देगें। इन विकल्पों के सामने ही Pending, Accept एवं Reject किए गए आवेदनों की संख्या भी दिखाई देगी।
3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या–7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
5. इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आवेदक द्वारा नाम जोडने/हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रदान की गई उक्त सुविधा का स्थानीय स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि मतदाता उक्त सुविधा का उपयोग कर सके। ऑनलाईन आवेदन पत्र भी दिनांक 07.03.2022 तक ही प्राप्त किये जा सकेंगे।

12. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए **विशेष अभियान** तिथियॉ **दिनांक 27.02.2022 एवं 06.03.2022** निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। **शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।** विशेष अभियान तिथियों में प्रगणक द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा एवं मतदान केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों द्वारा भी मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी की पालना भी सुनिश्चित की जाए।

13. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि दावे व आपत्तियॉ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दि. 26.02.2022 से 07.03.2022 के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 **(परिशिष्ट क्रमशः 4, 5 एवं 6)** में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के **खण्ड–12 के अनुसार कार्यवाही** करेगा।

14. दावें व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।

15. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रकिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड–12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड–13 व खण्ड–14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रकिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रकिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई–सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप–7 में किया जावेगा।

16. प्रारूप निर्वाचक नामावली में अंकित **मृत एवं दोहरे मतदाताओं को चिह्नित कर** उनका नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही उक्त खण्ड–13 व खण्ड–14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने संबंधी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत की जाए। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लेवें।

17. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड–19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

18. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकडे प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगे। इन आंकडों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली में पत्रित किया जावेगा तथा **परिशिष्ट–7** पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावें/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकडे यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरूष एवं अन्य मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।

19. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त रजिस्टर में संकलित आकडों के आधार पर **परिशिष्ट–8** में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को ई–सूची पर अपलोड कर ऑन लाईन भेजी जाएगी।यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में **पात्र व्यक्ति का नाम जुडने से नही रह जाए व अपात्र का नाम सम्मिलित नहीं हो।**

20. आयोग के परिपत्र सं0 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों का **एक–एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।**

21. **पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोडे ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडे जा सके।**

22. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, SEC	9414046720, 9829413131	निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के लिए
2.	श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक,SEC	8005926047, 9636121562	
3.	श्रीमती अनिता भोला, प्रोग्रामर, SEC	7976326853, 9460727078	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
4.	श्री एल. एल. सुथार, प्रतिनिधि SLA	7727011733	
5.	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	9784016187	
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि SLA	7339839007	
7.	श्री हिमांशु चौधरी, SLA	7014758543	

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक हैं, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का हैं। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावचेती एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

अतः समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा हैं कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगें। **यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।**

इस क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान काविड–19 से बचाव हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए:–

1. उक्त कार्य में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान पूर्ण समय मास्क एवं समय–समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से मतदान केन्द्र पर मास्क पहन कर ही मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।

2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिकों द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट की दूरी रखी जाएगी।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचक नामावली की तैयारी में नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के जैसे लक्षण यथा बुखार, खांसी, जुकाम, श्वांस लेने में परेशानी आदि के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए तथा उसके स्थान पर अन्य कार्मिक नियोजित कर दिया जावें।

4. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

आज्ञा से,

चित्रा 13/1/2022

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2022/6838-6847
दिनांकः 13/1/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. संबंधित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
9. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयुपर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर
10. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।

13.1.2022.

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN
Draft Electoral Roll Control Chart

Name of District :

Name of Council / Corporation :

Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template.
Please start filling the template from Sr. No. 1

FORMAT - A

version.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From Sr.No.	To Sr.No.	Ward No.	Ward Part No.	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सॉफ्टवेर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.स.	स्टेप		विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन	Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in टाइप करें। लॉग इन password डालकर लॉग इन करें।
2	स्टेप-2	ULB का चयन करना	Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और काउन्सिल/कार्पोरेशन का चयन कर DONE बटन पर क्लिक करें।
3	स्टेप-3	काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम निर्धारित करना	Set name for election फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन का नाम हिंदी में दर्ज करें।
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना	Polling station detail फॉर्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें।
5	स्टेप-5	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड निर्धारित करना	Ward-Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें। कृपया वार्ड के परिसीमन अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करें यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा।
6	स्टेप-6	काउन्सिल/कार्पोरेशन के वार्ड पार्ट निर्धारित करना	Ward-Part Create/Edit More.. फॉर्म को ओपन कर काउन्सिल/कार्पोरेशन के ward part की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवें। Note : सभी पार्ट की डीटेल – मतदान केंद्र, तहसील, town, वार्ड पार्ट के परिसीमन अनुसार विवरण इत्यादि की एंट्री होना सुनिश्चित करें।
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना			
7	स्टेप-7	Format-A तैयार कर अपलोड करना	Draft Voter List->Upload A document फॉर्म को ओपन कर, वार्ड संख्या को चुनकर Format-A की Excel की Comma Delimited (.CSV format) अपलोड करें। Format-A की EXCEL file Download Section से डाउनलोड की जा सकती है।
8	स्टेप-8	Draft Voter List सत्यापन करना	Draft Voter List->View Draft Voter List & Remaining voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की संकलित PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा।
9	स्टेप-9	काउन्सिल/कार्पोरेशन को फ्रीज करना	Draft Voter List->Freeze draft ward summary फॉर्म को ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करें।
10	स्टेप-10	काउन्सिल/कार्पोरेशन का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Draft Voter List->Draft Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड नंबर का चयन करें। चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करें।
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल(With photo,Without Photo) डाउनलोड करें। इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा।
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी।

नगर निकायो में वार्ड पार्ट वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सॉफ्टवेर (ई-सूची) संचालन हेतु दिशा निर्देश

13	स्टेप-13	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरुरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है |
Supplement/Final मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल तैयार करना			
14	स्टेप-14	Format-B तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरुरत है या वार्ड के एक वार्ड पार्ट से दूसरे वार्ड पार्ट में शिफ्ट करने की जरुरत है तो Format-B की Excel की Comma Delimited (.CSV Format) तैयार कर अपलोड करें | अपलोड के पश्चात FORMAT-B को Process कर लेवें| Format-B की EXCEL फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है | NOTE : FORMAT-B मे मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी | ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B में उपयोग नही करें |
15	स्टेप-15	नए मतदाता को जोड़ना/संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरुरत है तो claim objection->Add new voter का फॉर्म ओपन कर जोड़ लेवें| अगर नए मतदाता में संशोधन की जरुरत है तो claim Objection->search/modify new voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन कर लेवें |
16	स्टेप-16	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन/डिलीट की जरुरत है तो claim objection->update delete voter का फॉर्म ओपन कर संशोधन/डिलीट कर लेवें |
17	स्टेप-17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करें | Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लिमेंट/फाइनल मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे |
18	स्टेप-18	वार्ड संख्या को फ्रीज करना	Final Voter List->Freeze Final Roll ward summary फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze Final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करें |
19	स्टेप-19	वार्ड संख्या का कम्पलीशन सर्टिफिकेट जनरेशन	Final Voter List->Final Roll completion certificate फॉर्म ओपन कर वार्ड संख्या का चयन करें | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करें |
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करें | लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल(with Photo,Without Photo) डाउनलोड करें | **इस समय डाऊनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा |**
21	स्टेप-21	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीएफ फाइल को अपलोड करें। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएफ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था. नाम में बदलाव करने पर पीडीएफ फाइल अपलोड नही होगी।
22	स्टेप-22	मतदाता का section Address सही करना	अगर जरुरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फॉर्म ओपन कर किया जा सकता है |

परिशिष्ट –3

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरनिगम ....

प्रमाण – पत्र

मैं .... , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद / नगर निगम .... प्रमाणित करता हूँ कि नगर निकाय .... के वार्ड संख्या 1 से .... तक तैयार कराई गई सभी वार्डो की प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा .... प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा .... प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जॉच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा. / न.प. / न.नि. ....

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

प्ररूप 8

स्थान का नाम (जहॉं आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 3 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	दावेदार का नाम	पिता/माता/पति का नाम और (संबंध)#	निवास स्थान	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
1	2	3	4	5	6	7

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

\# संबंध पि–पिता, मा–माता, और प–पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

प्ररूप 9

स्थान का नाम (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	नामों को सम्मिलित करने के विरूद्ध आपत्ति करने के लिए प्ररूप 5 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–

1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की क्रम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	आक्षेपकर्ता का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा			आक्षेप के लिए संक्षेप में कारण	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	क्रम संख्यांक	पूरा नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः क्रम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

प्ररूप 10

अभिहित स्थान की पहचान (जहाँ आवेदन प्राप्त किए गए हैं)	निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की विशिष्टियों पर आक्षेप के लिए प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची
	नगरपालिका का नाम :–
1. वार्ड संख्या 2. भाग संख्या	3. आवेदनों की प्राप्ति की अवधि (इस सूची में सम्मिलित) तारीख .... से तारीख .... तक
4. सुनवाई का स्थान* :	

आवेदन की कम संख्या$	प्राप्ति की तारीख	आक्षेप करने वाले निर्वाचन का नाम (पूरा नाम)	आक्षेपित प्रविष्टि की विशिष्टियां		आक्षेप की प्रकृति	सुनवाई की तारीख*	सुनवाई का समय*
			भाग संख्यांक	कम संख्यांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

$ प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए कमशः कम संख्या देनी होगी।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

परिशिष्ट–7

नगरपालिका आम चुनाव– 2022

मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण

जिले का नामः .... नगरपालिका का नामः ....

वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2022) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)				दावे/आपत्तियों का विवरण										ERO द्वारा स्वविवेक से		अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
					प्राप्त			निस्तारण												
					दावे	नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	प्रविष्टि में शुद्धि हेतु प्रस्तुत आपत्तियां	दावे		नाम हटाने संबंधी आपत्ति		शुद्धि संबंधी आपत्ति		जोडे गये नाम	हटाये गये नाम	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य				स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार	स्वीकार	अस्वीकार						
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

17

परिशिष्ट–8

नगरपालिका आम चुनाव 2022

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नामः .... नगरपालिका का नामः ....

ERO का नाम व पदनाम	वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची (2022) के अनुसार न.पा. वार्ड से संबंधित मतदाताओं की संख्या (नगरपालिका मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				अन्तिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
		कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरूष	स्त्री	अन्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान